संख्या-66/2016/811/12-3-2016-100(59)/2013टी.सी.

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 01 जून, 2016**

विषय:-**कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले प्रदर्शन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश।**

महोदय,

कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उन्नत कृषि तकनीक के प्रचार-प्रसार हेतु कृषि प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। जैसाकि आप अवगत ही है कि फसल प्रदर्शन एक दीर्घकालीन शिक्षाप्रद कार्यक्रम है, जोकि व्यवस्थित ढंग से किसान के खेत मे उत्पादन की नई, उन्नत विधि/प्रौद्योगिकी की उपयोगिता प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किये जाते है। प्रदर्शनों का मूल दर्शन, देखकर विश्वास करने के सिद्धान्त पर आधारित है। केवल पूर्ण रूप से सिद्ध/स्थापित प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही फील्ड प्रदर्शनों के लिए किया जाता है, जिसके लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है, जो निम्नवत् है:-

<u>प्रदर्शनों के उद्देश्य</u>

1. सर्वाधिक प्रभावी ढंग से स्थापित उत्पादन प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण।
2. अपनायी गयी उत्पादन प्रौद्योगिकी पर आधारित सर्वोत्कृष्ट उत्पादकता प्राप्त करना।
3. प्राप्त उपज/उत्पाद की गुणवत्ता, कीट रोग के प्रति सहनशीलता, इन्पुट-आउटपुट अनुपात आदि के आधार पर कृषकों को प्रशिक्षित करना।
4. नवीनतम् फसल उत्पादन एवं सुरक्षा सम्बन्धी प्रौद्योगिकी का इनसे सम्बन्धित मैनेजमेन्ट प्रैक्टिस के साथ अलग-अलग एग्रोक्लाईमेटिक जोन एवं कृषि परिस्थितियों के अनुसार किसानों के खेतों पर प्रदर्शित करना।
5. नवीन प्रौद्योगिकी की उत्पादन क्षमता को कृषि वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण में किसान के खेत पर सम्बन्धित किसान तथा अन्य किसानों के लाभार्थ प्रदर्शित करना।
6. नई प्रौद्योगिकी के बारे में क्षेत्र विशेष हेतु उपयोगी आकड़ों को एकत्रित करना।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदर्शनों के प्रकार

प्रदर्शनों का वर्गीकरण यद्यपि कई प्रकार से किया जाता है, परन्तु मुख्य रूप से 02 प्रकार के प्रदर्शन आयोजित कराये जाते है :-

1. सिंगल फैक्टर प्रदर्शन।
2. मल्टी फैक्टर/कारक प्रदर्शन जिन्हें कम्पोजिट प्रदर्शन भी कहते है।

उक्त दोनों प्रकार के प्रदर्शन ही कृषि विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में कलस्टर प्रदर्शन के रूप में अथवा एकल प्रदर्शन के रूप में आयोजित किये जाते है, जिनके आयोजन में निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

प्रदर्शनों के आयोजन के सम्बन्ध में निर्देश

1. प्रदर्शन यथासम्भव जनपद के सभी विकासखण्डों में आयोजित किये जायेगें। जिन विकासखण्डों में उत्पादकता कम हो, उन्हें वरीयता दिया जायेगा। उदाहरण के तौर पर :-

(क) **यदि किसी जनपद में** 09 **विकास खण्ड हैं और धान के कुल** 07 **प्रदर्शन किये जाने हैं तो कम उत्पादकता के बढ़ते क्रम में** 07 **विकास खण्डों में एक-एक क्लस्टर प्रदर्शन किया जायेगा।**

(ख) **यदि उस जनपद में धान के कुल** 21 **प्रदर्शन किये जाने हों तो सबसे कम उत्पादकता वाले** 03 **विकास खण्डों में तीन-तीन एवं शेष** 06 **विकास खण्डों में दो-दो प्रदर्शन किये जायेंगे।**

2. प्रदर्शनों के आयोजन के लिए क्षेत्र का चयन करने में इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए कि जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में से उत्पादकता के आधार पर पिछड़ी न्याय पंचायतों का चयन कर लिया जाए तथा सबसे कम उत्पादकता वाली न्याय पंचायतों को प्रदर्शनों के आयोजन हेतु क्षेत्र के चयन में प्रथम प्राथमिकता दी जाए। इसके उपरान्त बढ़ते क्रम में अधिक उत्पादकता वाली न्याय पंचायत का क्रम क्षेत्र चयन हेतु रखा जाए।
3. खेतों का चयन करते समय यह प्राथमिकता दी जाए कि प्रदर्शनों का आयोजन विशेष रूप से कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन मुख्य सड़कों के किनारे कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक कृषक आते-जाते प्रदर्शनों को देख सके। ऐसे कलस्टर प्रदर्शनों पर बोर्ड भी अवश्य लगवाये जाए।
4. कृषकों के चयन में कृषक समूह-लघु सीमान्त कृषक तथा महिला कृषकों को वरीयता देते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के निर्धारित प्रतिनिधित्व को सम्बन्धित योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार चयन में अवश्य रखा जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. किसान का चयन करते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि कृषक कृषि कार्यो में रूचि रखता हो तथा लोगों के मध्य प्रगतिशील कृषक के रूप में उसकी स्वीकार्यता हो।
6. चयनित कृषकों/लाभार्थियों का चयन एक माह पूर्व करके उनको प्रशिक्षण/गोष्ठियों में अवश्य बुलाकर प्रशिक्षित किया जाए।
7. फसलों की नवीनतम् प्रजातियों का चयन, क्षेत्रीय अनुकूलता तथा बुवाई आदि के समय को ध्यान में रखकर किया जाए।
8. प्रदर्शन वाले खेतों का मृदा परीक्षण अवश्य कराया जाए। जिन कृषकों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड न हो, उन्हें यह प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाए।
9. मृदा परीक्षण के आधार पर संस्तुत सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वकों का प्रयोग, जीवांश खादों, हरी खाद तथा जैव उर्वरकों के साथ किया जाए ।
10. प्रदर्शनों में अनुदान पर दिये जाने वाले सभी कृषि निवेशों को डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराये जाए।
11. जो कृषक खेती के साथ-साथ पशुपालन का कार्य करता है तथा जिनके पास अपनी गोबर की खाद/जीवान्श खाद उपलब्ध है, उनको भी चयन में वरीयता दी जाए।
12. प्रदर्शनों की समय से एवं लाइन में बुवाई करायी जाए तथा उनमें नवीनतम् कृषि उपकरणों का प्रयोग भी अवश्य कराया जाए।
13. प्रदर्शन की बुवाई पर्यवेक्षीय अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थति में कराना उचित होगा।
14. कृषक को देय सुविधाओं में क्रिटिकल इन्पुट को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग आवश्यकतानुसार ही कियाजाए, उनमें बायोएजेन्ट, बायोपेस्टीसाइट को प्राथमिकता दी जाए।
15. यथा सम्भव छोटे प्रदर्शनों का आयोजन प्रजातिवार एवं फसलवार एक ही गॉव में कराने का प्रयास किया जाए।
16. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर प्रदर्शन पंजिका रखी जाए, जिसमें बुवाई से लेकर कटाई तक सभी क्रियाओं एवं उत्पादकता तक का सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाए।
17 प्रदर्शन की क्राप कटिंग अवश्य करायी जाए तथा कलस्टर प्रदर्शनों की सफलता की कहानी, फोटोग्राफ्स, इलेक्ट्रानिक मीडिया, वीडियो आदि की सहायता से तैयार की जाए।
18. सामान्य प्रदर्शन के प्लाट के बगल में जहॉ तक सम्भव हो, एक कन्ट्रोल प्लाट भी रखा जाए जिसमें कृषक अपने ढ़ग से खेती करेगा और अन्त

http://shasanadesh.up.nic.in

में इस कन्ट्रोल प्लाट से प्रदर्शन के प्लाट की उत्पादकता की तुलना की जाए।

19. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता को कम से कम 5-5 कौशल प्रदर्शनों के आयोजन का लक्ष्य भी अवश्य दिया जाए।
20. कृषकों को जो निवेश उपलब्ध कराये जाए, उसके विषय में एक प्रति तैयार कर कृषक के हस्ताक्षर सहित नाम, पता तथा किसान आई.डी. नम्बर अवश्य रखा जाए तथा सम्बन्धित परियोजना अधिकारी को इसका विवरण उपलब्ध कराया जाएॅ।

<u>प्रदर्शनों के आयोजन हेतु क्रमिक व्यवस्था</u>

1. प्रथम चरण में प्रदर्शन, क्षेत्र का चयन, किसान एवं खेत का चयन, बीज एवं प्रजाति का चयन।
2. द्वितीय चरण में तकनीकी का चयन, क्षेत्र की तैयारी, निवेश व्यवस्था एवं मृदा परीक्षण।
3. तृतीय चरण में प्रदर्शन से सम्बन्धित वास्तविक कृषि कार्यो का प्रदर्शन प्लाट पर क्रियान्वयन।
4. चतुर्थ चरण में बड़े एवं सफल प्रदर्शन पर फील्ड डे कृषक भ्रमण।
5. पंचम चरण में क्राप कटिंग एवं कटाई।
6. षष्टम चरण में प्रदर्शन की तकनीकी रिपोर्ट तैयार करना।
7. सप्तम चरण में सफल प्रदर्शनों की कहानी, अभिलेखीय साक्ष्य यथा फोटो, वीडियो, एक्सपोजर विजिट, निरीक्षण आदि का विवरण सहित मुख्यालय को प्रेषित की जाए।

प्रदर्शन स्थल पर निम्नानुसार **4'X3'** का बोर्ड लगाया जाना उचित होगा

योजना का नाम ..... कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
जनपद का नाम..... विकास खण्ड का नाम .....
कृषक का नाम : .....
पिता/पति का नाम : .....
कृषक आई.डी. संख्या : .....
फसल/प्रजाति : .....
बुवाई की तिथि : .....
दिये गये निवेश : .....
अनुदान की धनराशि : .....

<u>प्रदर्शन रजिस्टर का प्रारूप</u>

जनपद का नाम.....विकास खण्ड का नाम.....गॉव का नाम.....

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदर्शन का प्रकार सामान्य/कलस्टर

.....

क्र0सं0	कृषक का नाम	पिता का नाम/पता	रजिस्ट्रेशन संख्या	फसल व प्रजाति का नाम	प्रदर्शन प्लाट का क्षेत्रफल हे0 में	प्राप्त किये गये कृषि निवेश	प्राप्त अनुदान की धनराशि रू0 में	बुवाई का दिनांक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
पर्यवेक्षीय अधिकारी जिसके समक्ष बुवाई की गयी	सिंचाई का विवरण दिनांक सहित	उर्वरक एवं टाप ड्रेसिंग की तिथियॉ	कृषि रक्षा उपचार का विवरण दिनांक सहित	फील्ड डे का दिनांक	क्राप कटिंग का दिनांक एवं परिणाम	उत्पादन कु0/हे0	निरीक्षण कर्ताओं की टिप्पणी दिनांक सहित	अभ्युक्ति
10	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**

प्रदर्शनों के आयोजन में उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जायेंगे।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद **)**
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/12-3-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त को कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन के अवगतार्थ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परियोजना अधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
7. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त उप कृषि निदेशक(कृषि रक्षा), उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड बुक।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(सी. पी. सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in